


9-2-24 वकील पार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अर्जित धारा-151
C.P.C. के तहत प्रार्थना-पत्र को Not Press करने
बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गई (पार्थी
वकील उपस्थित) वकील पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-
पत्र अनुसार राजस्व प्रार्थना-पत्र को Not Press
करना-चाहते हैं

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील पार्थी को
सुना गया। वकील पार्थी ने निवेदन किया कि
राजस्व प्रार्थना-पत्र को Not Press करना-चाहता
हूँ, अतः Not Press करने के आदेश प्रदान करवावे।
चूंकि वकील पार्थी राजस्व प्रार्थना-पत्र को Not
Press करना-चाहते हैं, अतः Not Press करने
की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)